भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

रा-ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परि-ाद् प्रभाग

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार

के लिए

रा-ट्रीय पुरस्कार

प्रक्रिया संहिता

विनय सूची

खंड संख्या	खंड	पृ-ठ संख्या
I	पुरस्कारों का विवरण	2
II	पुरस्कारों के लिए पात्रता	3
III	पुरस्कारों की अवधि	3
IV	नामित करने के लिए पात्र प्राधिकारी	4
V	नामांकनों की प्रक्रिया	4
VI	पुरस्कारों का मूल्यांकन और चयन	4-5
VII	पुरस्कार वितरण	5
VIII	सामान्य	6
IX	आवेदन पत्र का संरूप भाग I भाग II भाग III	

प्रक्रिया संहिता

खंड - I : पुरस्कारों का विवरण

निम्नलिखित पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के क्षेत्र में उत्कृ-ट योगदान तथा ऐसी वैज्ञानिक प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए जिसने विगत पाँच व-र्ाों के दौरान देश में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, किसी व्यक्ति अथवा संस्थान को प्रति व-र्ा प्रदान किए जाएंगे। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिह्न और नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

श्रेणी	पुरस्कारों का विवरण	इन पुरस्कारों में नकद राशि शामिल है जैसाकि नीचे दिया गया है
क	सामान्यतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृ-ट प्रयासों के लिए रा-ट्रीय पुरस्कार	2, 00, 000/- रू. (दो लाख रूपए)
ख	पुस्तकों और पत्रिकाओं सहित प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृ-ट प्रयासों के लिए रा-ट्रीय पुरस्कार	1,00,000/- रू. (एक लाख रूपए)
ग	बच्चों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी लोकप्रियकरण में उत्कृ-ट प्रयासों के लिए रा-ट्रीय पुरस्कार	1,00,000/- रू. (एक लाख रूपए)
घ	लोकप्रिय विज्ञान और प्रौद्योगिकी साहित्य का भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भा-ाओं में और अंग्रेजी में अनुवाद में उत्कृ-ट प्रयासों के लिए रा-ट्रीय पुरस्कार	1,00,000/- रू. (एक लाख रूपए)
ङ	नवोन्मे-ी और पारंपरिक पद्धतियों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृ-ट प्रयासों के लिए रा-ट्रीय पुरस्कार	1,00,000/- रू. (एक लाख रूपए)
च	इलेक्ट्रानिक माध्यम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृ-ट प्रयासों के लिए रा-ट्रीय पुरस्कार	1,00,000/- रू. (एक लाख रूपए)

खंड - II : पुरस्कारों के लिए पात्रता

1. ये पुरस्कार सभी भारतीय नागरिकों और भारत में पंजीकृत अथवा केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा सृजित संस्थानों के लिए खुला है।

2. पुरस्कारों के लिए पात्रता हेतु यह आवश्यक है कि कोई भारतीय नागरिक/भारत में पंजीकृत गैर सरकारी संगठन/संस्थान की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, जैसाकि खंड IV में परिभा-ित किया गया है, द्वारा लिखित रूप में की जाए।

3. वे व्यक्ति जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सेवारत हैं, इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।

4. किसी विशे-ा पुरस्कार के विजेता पर 10 व-र्ाों की अवधि के बाद केवल इसी पुरस्कार के लिए और पांच व-र्ाों के बाद भिन्न पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

5. नामित व्यक्ति को नामांकन की तारीख को 35 व-र्ा की आयु से अधिक होना चाहिए तथा पुरस्कार की तारीख को जीवित होना चाहिए।

6. यदि किसी संगठन/संस्थान ने अपने पंजीकरण के पश्चात विज्ञान संचार के क्षेत्र में संवर्धनात्मक कार्यकलाप के 10 से अधिक व-र्ा पूरे किए हैं तो वह इस पुरस्कार का पात्र होगा।

खंड - III : पुरस्कारों की अवधि

1. ये पुरस्कार वार्-िाक रूप से प्रदान किए जाएंगे।

2. तथापि, यदि यह माना जाता है कि कोई भी सिफारिश मान्यता प्रदान करने के योग्य नहीं है, तो कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।

खंड - IV : नामित करने के लिए पात्र प्राधिकारी

1. रा-ट्रीय विज्ञान अकादमियों के प्रमुख, व्यावसायिक विज्ञान और इंजीनियरी सोसाइटियों के अध्यक्ष, विश्वविद्यालयों के उप कुलपति और रजिस्ट्रार, अनुसंधान प्रयोगशालाओं के निदेशक, विज्ञान वि-ायों में कार्यरत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागों के प्रमुख, मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रमुख, पंजीकृत विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित स्वैच्छिक संगठनों के अध्यक्ष।

2. उपरोक्त पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा (जिसे इसके पश्चात 'मंत्रालय' कहा गया है) उपरोक्त एजेंसियों को प्रत्येक व-र् एक परिपत्र जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मीडिया के माध्यम से पुरस्कारों का व्यापक प्रचार भी किया जाएगा। नामांकनों को विहित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

खंड - V : नामांकनों की प्रक्रिया

1. पुरस्कारों के लिए प्राप्त नामांकनों की प्रक्रिया मंत्रालय में रा-ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परि-ाद द्वारा संचालित की जाएगी।

2. सभी पहलुओं से पूर्ण आवेदनों को ही विचार हेतु चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

खंड - VI : पुरस्कारों का मूल्यांकन और चयन

1. पुरस्कारों के लिए अंतिम चयन मंत्रालय द्वारा गठित होने वाली चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का कार्यकाल तीन व-र्ों का होगा।

2. चयन समिति नौ (9) सदस्यों से मिलकर बनेगी और इसके सभी सदस्य भारतीय नागरिक होंगे । बैठकों का कोरम 5 सदस्यों का होगा।

3. यदि चयन समिति का कोई सदस्य सेवानिवृत्त होता है अथवा उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह अन्यथा अपनी सदस्यता त्याग देता है अथवा इस्तीफा देता है तब उसकी जगह किसी अन्य सदस्य को शे-न कार्यकाल के लिए सदस्य नियुक्त किया जाएगा।

4. चयन समिति के गैर सरकारी सदस्य भारत सरकार में यथा लागू वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार यात्रा एवं दैनिक भत्तों के हकदार होंगे।

5. चयन समिति के निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाएंगे। दोनों पक्षों के मतों के बराबर होने की स्थिति में बैठक के अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा।

6. चयन समिति प्रत्येक व-र्न फरवरी के प्रथम सप्ताह में पुरस्कारों पर निर्णय लेगी।

7. चयन समिति के निर्णय अंतिम होंगे।

खंड - VII: पुरस्कार वितरण

1. जहां तक संभव होगा, नई दिल्ली में प्रत्येक व-र्न 28 फरवरी को रा-ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन होने वाले विशे-न समारोह में पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा।

2. पुरस्कार विजेताओं को स्वयं पुरस्कार ग्रहण करने तथा पुरस्कार हेतु मान्यता दिए गए संबंधित वि-नय पर उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करने लिए आमंत्रित किया जाएगा।

3. पुरस्कार राशि का भुगतानः मंत्रालय आदाता के नाम मांग पत्र/बैंकर्स चैक, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से पुरस्कार समारोह में पुरस्कार राशि का भुगतान करेगा।

4. पुरस्कार को स्वीकार नहीं करनाः पुरस्कारों को प्रदान करने की घो-नणा से पहले प्रत्याशित पुरस्कार विजेताओं की सहमति सुनिश्चित की जाएगी। तथापि, यदि ऐसी सहमति देने के पश्चात् भी कोई पुरस्कार विजेता पुरस्कार ग्रहण करना अस्वीकार कर देता है तब पुरस्कार राशि मंत्रालय को तुरंत वापस कर दी जाएगी। यदि कोई पुरस्कार विजेता पुरस्कार को ग्रहण करना स्वीकार करता है और निर्धारित अवधि के भीतर राशि आहरित करने में असफल रहता है तो भी राशि को मंत्रालय को वापस कर दिया जाएगा।

खंड - VIII: सामान्य

1. चयन समिति का कोई भी सदस्य आचार-संहिता में संशोधन हेतु प्रस्ताव लाने के लिए सक्षम होगा। तथापि इस वि-ाय पर अंतिम निर्णय मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।

2. पुरस्कार तथा इसके संबंध में होने वाले समस्त खर्चों के लिए आवश्यक राशि मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी।

3. पुरस्कार हेतु सचिवालय संबंधी सहयोग एनसीएसटीसी प्रभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जाएगा।